राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर

क्रमांकः ई–33 / सहा.रेडियो. / सीधी भर्ती–2018 / 2019 / 404   दिनांकः 10.12.19

आदेश

एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 13034 / 2018 वर्षा नारवानी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा आदेश दिनांक 14.5.2019 निम्नानुसार पारित किया है :–

"Consequently, the writ petition filed by the petitioner is allowed. The action of the respondents in holding the petitioner ineligible on account of her visual disability is quashed and set aside. The respondents are directed to accord appoinment to the petitioner on the post of Assistant Radiographer pursuant to the advertisement dated 25.05.2018 with all consequential benefits from the date person lower in merit to the petitioner was granted appointment by the respondents, if she is otherwise eligible.

However, the petitioner would be entitled to monetary benefits only from the date the appointment is accorded to her.

Needful may be done by the respondents within a period of four weeks from the date of this order."

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में सहायक रेडियोग्राफर सीधी भर्ती 2018 की अंतिम चयन सूची (नॉन टीएसपी) के कमांक 199 पर वर्षा नारवानी का नाम सम्मिलित किया जाकर सहायक रेडियोग्राफर के पद पर निम्नानुसार नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

क.सं.	एप्लीकेशन नं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म दिनांक	लिंग	श्रेणी	पदस्थापन स्थान
1.	1150160	वर्षा नारवानी	विजय कुमार नारवानी	4.4.1995	स्त्री	सामान्य	मथुरा दास माथुर चिकित्सालय जोधपुर

वर्षा नारवानी को वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एफ.15(1)एफडी / नियम / 2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसरण में विज्ञापित पद की पे मेट्रिक्स लेवल 8 में नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) 18500 / –रूपये प्रतिमाह 2 वर्ष तक Probation Period (परिवीक्षा अवधि) में कार्यग्रहण करने की दिनांक से देय होगा।

वर्षा नारवानी को सहायक रेडियोग्राफर की मूल पदस्थापन सूची दिनांक 5.10.2018 में सम्मिलित मानते हुए समस्त परिलाभ काल्पनिक (Notional) रूप से देय होंगे।

वर्षा नारवानी को उनके मूल शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन / चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात ही कार्यग्रहण कराया जायेगा। वर्षा नारवानी की जन्म दिनांक सैकेण्डरी / हाई स्कूल के मूल प्रमाण पत्रों से सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित की जायेगी। दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक सन्तान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नही होंगे, इस आशय का 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित शपथ पत्र उक्त अभ्यर्थी से उपस्थिति के समय प्राप्त किया जायेगा।

क्रमशः पेज 2 ....

यह आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्याधीन होंगे :–

1. परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों एवं यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त ही पद की नियमित पे मैट्रिक्स लेवल 8 का न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
2. वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः एफ.13 (1)/एफडी/रूल्स/03 दिनांक 28.01.2004 के अनुसार उक्त नवनियुक्त अभ्यर्थी पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।
3. उक्त अभ्यर्थी की जन्म तारीख उनके सैकेण्ड्री/सीनियर हायर सैकेण्ड्री के मूल प्रमाण पत्रों में उल्लेखित जन्मतिथि से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी है।
4. दिनांक 1.6.2002 अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। इस आशय का शपथ पत्र संबंधित अभ्यर्थी से उपस्थिति के समय प्राप्त किया जावेगा।
5. अभ्यर्थी द्वारा इस आदेश की प्रति का प्रिंट विभाग की वेबसाईट से डाउनलोड कर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत की जा सकती है।
6. उक्त अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करते समय संबंधित प्रशासनिक अधिकारी के सम्मुख **स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति व अन्य प्रमाण पत्रों** की छायाप्रति जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न की है, के मूल दस्तावेजो के साथ प्रस्तुत करने होगे। सभी छाया प्रति स्वंय द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करनी होगी। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होगा एवं पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होने पर ही मान्य होगा।
7. **उक्त चयनित अभ्यर्थी को कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांकः प0 1 (1) कार्मिक/(क–2)/2016/ दिनांक 15.07.2016 के अनुरूप चरित्र प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।**
8. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र, दस्तावेज फर्जी/परिवर्तित/कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे। साथ ही दोषी के विरूद्ध न्यायिक/दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी। मूल प्रमाण पत्र संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाया जावे, अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किए जावेंगे। यदि कोई दस्तावेज फर्जी अथवा कूटरचित पाया जावे तो तत्काल निदेशालय से मार्ग दर्शन प्राप्त करें।
9. उक्त नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्याधीन है।
10. राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22.5.2006 के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन किया जाना अनिवार्य किया गया है। अतः विवाह पंजियन प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त की जावेगी। यदि ऐसे अभ्यर्थी द्वारा विवाह पंजीयन नही करवाया गया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नही माने जावेगें। परिपत्र दिनांक 22.5.2006 के जारी होने से पूर्व विवाहित अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. विभागीय कर्मचारी/संविदा पर कार्यरत कर्मी अपने मूल पद से विधिवत कार्यमुक्त होकर नव पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति देगें।
12. अभ्यर्थी **दिनांक 20.12.2019** तक संबंधित अधिकारी के अधीन कार्यग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

कमशः पेज 3 ....

क्रमांकः ई–33 / सहा.रेडियो. / सीधी भर्ती–2018 / 2019 / 404 दिनांक : 10.12.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप– 3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, (जन स्वा. / प.क.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक।
7. अधीक्षक मथुरा दास माथुर चिकित्सालय जोधपुर को प्रेषित कर लेख हैं आपके अधीन पदस्थापित अभ्यर्थी के संबंधित आवेदन पत्र व संलग्न दस्तावेज **दिनांक 2.12.2019** तक विशेष वाहक भिजवाकर निदेशालय से प्राप्त करें एवं समस्त बिन्दुओं तथा निम्नांकित बिन्दुओं के सत्यापन / परीक्षण की कार्यवाही करके अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करावें :–
   (i) अभ्यर्थी के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर एवं सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावें।
   (ii) राज्य एवं राज्य के बाहर के शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अध्याधीन कार्यग्रहण करावे तथा संबंधित संस्था से सत्यापन हो जाने के पश्चात ही अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज लौटावें।
   (iii) अभ्यर्थी का जिस जाति वर्ग (ओबीसी / एसबीसी / एसटी / एससी टीएसपी / एसटी टीएसपी / सहरिया) में चयन हुआ है उसके संबंध में कार्यग्रहण तिथि को वैध मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं उसके सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावें।
   (iv) विधवा, विकलांग के प्रमाण पत्र एवं विवाह विच्छिन्न (Divorced) अभ्यर्थी को विज्ञप्ति के अनुसार इस संबंध में सक्षम स्तर के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण कराया जावें। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दिये गये तथ्य तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सही होने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
   (v) दस्तावेजो में किसी भी प्रकार की कांट–छांट / कूटरचित हो तो तत्काल निदेशालय को अवगत करावें एवं कार्यग्रहण नही करावें।
   (vi) उक्त निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्रचलित नियमों की पालना सुनिश्चित करें।
8. चयनित अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता हैं कि वे सर्वप्रथम अपने मूल दस्तावेजों के साथ अपनी उपस्थिति संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुत करें।
9. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करें।
10. आदेश पत्रावली / निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर